कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक- 25.08.2026

थाना अलीनगर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में गोवध के अभियोग में वांछित व 25,000 रुपये का इनामियां को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर गगन राज सिंह, स्वाट टीम प्रभारी राम जनम यादव व उ0नि0 आशीष मिश्रा, प्रभारी सर्विलांस के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा दिनांक 25.08.2026 को मु0अ0सं0 0641/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा धारा 109(1)/325/318(4)/319(2) बीएनएस से सम्बन्धित 25,000 रुपये के इनामियां वांछित अभियुक्त अनिल कुमार यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी ग्राम खजुहा थाना सुहवल जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 31 वर्ष को पचफेड़वा रिंग रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
अनिल कुमार यादव पुत्र रमाशंकर यादव, निवासी ग्राम खजुहा, थाना सुहवल, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 31 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 0641/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा धारा 109(1)/325/318(4)/319(2) बीएनएस, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।
2.मु0अ0सं0 0376/2017 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।
3.मु0अ0सं0 500/2017 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-
1.प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।
3.हे0का0 चन्दन कुमार, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

स्वाट/सर्विलांस-
1.निरीक्षक राम जनम यादव मय टीम, एस0ओ0जी0/स्वाट टीम, जनपद चन्दौली।
2.उ0नि0 आशीष मिश्रा, प्रभारी सर्विलांस, मय टीम
3.मु0 आ0 अरविंद भारद्वाज
4.मु0 आ0 राणा प्रताप सिंह
5.मु0 आ0 दीपक मिश्रा

6.मु0 आ0 रामानंद यादव

7.मु0 आ0 आशुतोष सिंह

8.मु0 आ0 सतीश सिंह

9.आ0 अमित सिंह

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली
प्रेस नोट दिनांक-25.08.2026

□“बलुआ पुलिस व साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी के नए मॉडल का खुलासा, लाइब्रेरी की आड़ में चल रहा था शेयर मार्केट ठगी का नेटवर्क”

□थाना बलुआ पुलिस व जनपदीय साइबर टीम की संयुक्त कार्यवाही में, फर्जी Investment Advisory कॉल सेन्टर का पर्दाफाश मुख्य संचालक सहित 12 अभियुक्त गिरफ्तार।

□डायरी एवं रजिस्टरों में दर्ज प्रविष्टियों से 250 Client का विवरण प्राप्त हुआ है, जिनमें से वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि 03 Client से करीब ₹9.50 लाख का फ्रॉड किया गया।

□फर्जी Investment Advisory नेटवर्क का पर्दाफाश, 24 मोबाइल, 04 लैपटॉप, 42 सिम कार्ड व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, थाना बलुआ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.08.2026 को थाना बलुआ पुलिस एवं जनपदीय साइबर सेल की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सराय रसूलपुर में “Readers Community Club” नाम से लाइब्रेरी का स्वरूप देकर संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आनन्द मौर्या पुत्र सूबेदार मौर्या निवासी ग्राम सराय रसूलपुर, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली के मकान में संचालित उक्त परिसर पर पहुंचकर देखा गया कि कई व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन एवं लैपटॉप के माध्यम से कार्य करते मिले। पुलिस टीम द्वारा मौके की स्थिति एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों/अभिलेखों को सुरक्षित रखते हुए उपस्थित व्यक्तियों से अलग-अलग पूछताछ की गयी। पूछताछ में बताया गया कि उक्त कार्य का मुख्य संचालन आनन्द मौर्या द्वारा किया जाता है तथा उसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/संभावित ग्राहकों के मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराये जाते थे। इन नम्बरों पर सम्पर्क कर स्वयं को Share Market/Stock Market का जानकार एवं Investment Adviser बताकर अधिक लाभ दिलाने का विश्वास दिलाया जाता था। विश्वास में आने के बाद सम्बन्धित व्यक्तियों के Demat/Trading Account की जानकारी/Access प्राप्त कर उनके खातों को Handle करते हुए Trading की जाती थी। Trading में होने वाला नुकसान खाताधारक को वहन करना पड़ता है, नुकसान होने के पश्चात मोबाइल फोन को बन्द कर दिया जाता था। उपरोक्त प्रकरण में NCRB PORTAL व अन्य माध्यम से विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।
उक्त व्यक्तियों की पहचान 1.प्रकाश मौर्या पुत्र स्व0 उमाशंकर मौर्या निवासी ग्राम सराय रसूलपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली 2.जोगिंदर मौर्या पुत्र किरोधन प्रसाद मौर्या निवासी ग्राम सराय रसूलपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली 3. सिद्धार्थ मौर्या पुत्र इंद्रजीत मौर्या निवासी ग्राम सराय रसूलपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली 4.अभिषेक विश्वकर्मा पुत्र नंदलाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम सराय रसूलपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली 5.विकास शर्मा पुत्र बनवारी शर्मा निवासी ग्राम सराय रसूलपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली 6.कुशवाहा पुत्र लाल कुशवाह निवासी ग्राम इटवा थाना बलुआ जनपद चंदौली 7.प्रीतम कुमार मौर्या पुत्र राजन प्रसाद मौर्या निवासी ग्राम धानापुर थाना धानापुर जनपद

चंदौली 8.अमन कुमार मौर्या पुत्र स्वामीनाथ मौर्या निवासी ग्राम धानापुर थाना धानापुर जनपद चंदौली 9.आकाश मौर्या पुत्र निहाल मौर्या निवासी ग्राम धानापुर थाना धानापुर जनपद चंदौली 10. विशाल गौड़ पुत्र अशोक गौड़ निवासी ग्राम रामपुर थाना धानापुर जनपद चंदौली व 11.विशाल मौर्या पुत्र सतीश मौर्या निवासी ग्राम रामपुर थाना धानापुर जनपद चंदौली के रुप में हुई। जिनके कब्जे से कुल 21 मोबाइल फोन एवं 02 लैपटॉप बरामद हुए। इसके अतिरिक्त टेबल पर Seagate कम्पनी की 250 GB Internal Hard Disk Data Power Cable सहित मिली, जिसके संबंध में उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि उक्त हार्ड डिस्क आनन्द मौर्या की है। मौके से 01 हस्तलिखित डायरी एवं 02 हस्तलिखित रजिस्टर भी बरामद किये गये।

बरामद डायरी एवं रजिस्टरों के अवलोकन में 250 व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नम्बर तथा Share Market/Trading से सम्बन्धित प्रविष्टियां पायी गयीं। डायरी में अंकित कुछ मोबाइल नम्बरों पर पुलिस टीम द्वारा सम्पर्क किया गया, जिनमें से तीन व्यक्तियों द्वारा Share Market सम्बन्धी गतिविधियों में अपने साथ कुल लगभग ₹9,50,000/- की धोखाधड़ी/आर्थिक क्षति होने की जानकारी दी गयी।

इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा उक्त कार्य के मुख्य संचालक आनन्द मौर्या पुत्र सूबेदार मौर्या को सुरतापुर काली माता मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 02 लैपटॉप एक Apple कम्पनी एवं एक HP EliteBook तथा 03 मोबाइल फोन एक iQOO, एक iPhone एवं एक Lava कीपैड मोबाइल बरामद किये गये।

मौके पर एक ही परिसर में कई व्यक्तियों का मोबाइल फोन एवं लैपटॉप के माध्यम से कार्य करते मिलना, Share Market Clients, Account Handling, Profit/Loss, Membership एवं Sharing से सम्बन्धित डायरी/रजिस्टर की बरामदगी तथा डायरी में अंकित व्यक्तियों द्वारा आर्थिक क्षति/धोखाधड़ी की जानकारी दिये जाने से प्रथम दृष्टया उक्त परिसर में संगठित रूप से Share Market/Investment Advisory एवं Demat/Trading Account Handling से सम्बन्धित संदिग्ध गतिविधियां संचालित किया जाना प्रकाश में आया।

उक्त कार्यवाही में कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 04 लैपटॉप, 24 मोबाइल फोन, 01 Seagate 250 GB हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन में लगे 42 सिम कार्ड, 01 हस्तलिखित डायरी एवं 02 हस्तलिखित रजिस्टर बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 254/2026 धारा धारा 318(4), 61 (2), 3(5) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त आनन्द मौर्या उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह मेरी टीम है हम लोग मिलकर विभिन्न ग्राहकों के मोबाइल नम्बर पर दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर स्वयं को शेयर मार्केट/ स्टॉक मार्केट का जानकार एवं Investment Adviser बताते हुए अधिक लाभ प्रॉफिट दिलाने की बात कहकर सम्बन्धित व्यक्तियों को विश्वास में लेते हैं। उसके पश्चात Demat/Trading Account की जानकारी प्राप्त कर उसके Demat Trading Account को हमारे द्वारा Handle करते हुए Share Market में Trading की जाती है। Trading में नुकसान होने की स्थिति में आर्थिक नुकसान सम्बन्धित Demat/Trading Account धारक को वहन करना पड़ता है, नुकसान होने के पश्चात मोबाइल फोन को बन्द कर दिया जाता था। हार्ड डिस्क के सम्बन्ध में पूछने पर बता रहा है कि यह मेरी ही है इसे हम लोग डेटा सेव करने में प्रयोग करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.आनन्द मौर्या पुत्र सूबेदार मौर्या, निवासी ग्राम सराय रसूलपुर, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।

2.प्रकाश मौर्या पुत्र स्व0 उमाशंकर मौर्या, निवासी ग्राम सराय रसूलपुर, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।

3.जोगिंदर मौर्या पुत्र किरोधन प्रसाद मौर्या, निवासी ग्राम सराय रसूलपुर, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।

4.सिद्धार्थ मौर्या पुत्र इंद्रजीत मौर्या, निवासी ग्राम सराय रसूलपुर, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।

5.अभिषेक विश्वकर्मा पुत्र नंदलाल विश्वकर्मा, निवासी ग्राम सराय रसूलपुर, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।

6.विकास शर्मा पुत्र बनवारी शर्मा, निवासी ग्राम सराय रसूलपुर, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली।

7.कुशवाहा पुत्र लाल कुशवाह, निवासी ग्राम इटवा, थाना बलुआ, जनपद चन्दौली

8.प्रीतम कुमार मौर्या पुत्र राजन प्रसाद मौर्या, निवासी ग्राम धानापुर, थाना धानापुर, जनपद चन्दौली।

9.अमन कुमार मौर्या पुत्र स्वामीनाथ मौर्या, निवासी ग्राम धानापुर, थाना धानापुर, जनपद चन्दौली।

10.आकाश मौर्या पुत्र निहाल मौर्या, निवासी ग्राम धानापुर, थाना धानापुर, जनपद चन्दौली।

11.विशाल गौड़ पुत्र अशोक गौड़, निवासी ग्राम रामपुर, थाना धानापुर, जनपद चन्दौली।

12.विशाल मौर्या पुत्र सतीश मौर्या, निवासी ग्राम रामपुर, थाना धानापुर, जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

1-04 लैपटॉप

2-24 मोबाइल फोन मोबाइल फोन में लगे 42 सिम कार्ड

3-01 Seagate 250 GB Internal Hard Disk

4-01 हस्तलिखित डायरी व 02 हस्तलिखित रजिस्टर

गिरफ्तारी व बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह थाना बलुआ

व0उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव थाना बलुआ

उ0नि0 अभिषेक शुक्ला साइबर सेल

उ0नि0 जमीलुद्दीन खान थाना बलुआ

का0 सरोज कुमार यादव थाना बलुआ

हे0का0 पवन यादव साइबर सेल

का0 नौशाद अली साइबर सेल

रि0का0 अनमोल वर्मा थाना बलुआ